

शा.वि.- 14(म0)जहा0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

**निबंधित**

श्री अखिलेश कुमार सिंह (बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-2353/99),  
अनुमण्डल पदाधिकारी, पुपरी (सीतामढ़ी)।  
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुलासगंज, जहानाबाद)

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जहानाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप हुलासगंज प्रखंड (जिला-जहानाबाद) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
452.36219	₹ 619736.2000000003

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 452.36219 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
प्रदीप कुमार  
(प्रदीप कुमार)  
सचिव

## जिला का नाम:- जहानाबाद

जिला परिषद:- जहानाबाद

क्रम सं०	उप विकास आयुक्त का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राणा अवधेश (27.09.05 to 25.02.06)			3005.32	0	4117288.4
2	सुरेन्द्र प्रसाद (26.02.06 to 13.12.06)					

पंचायत समिति/प्रखंड स्तर पर:-

क्रम सं०/ प्रखंड	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नाम	कुल उठाव	कुल वितरित	अवितरित खाद्यान्न	वसुली गई राशि	समतुल्य राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	घोषी गोविन्द चौधरी (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1422/04)	6169.32	4088.29	2081.03	27003	2824008.10
2	मखदुमपुर ओम प्रकाश (2005) (बि०कृ०से०) नरेन्द्र कुमार लोहानी (बि०कृ०से०)	7480.53	6713.51	767.02	0	1050817.4
3	जहानाबाद सदर राजीव रंजन	11358	8092.28	3265.72	69281	4404755.4
4	रतनी फरीदपुर एनामूल हक ((बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक- 1652/99)	1000	380	620.00	0	849400.00
5	हुलासराज गोविन्द चौधरी (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1422/04) अखिलेश कुमार सिंह (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-2353/99)	8346.4	7799.14	547.26	130010	619736.2
6	मोदनराज अनील कुमार सिंह (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-584/99)	8909.14	8459.74	449.40	0	615678.00
7	काको शानू प्रकाश (बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक- 2243/99)	12140.29	9173.5	2966.79	0	4064502.30



22/11/06

संख्या १०३४/२००६ दिनांक २२/११/०६

श्री. अ. शर्मा, जॉइंट सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, दिल्ली

8/11/06/04

(Amita Sharma)  
Joint Secretary

श्री. अ. शर्मा, जॉइंट सचिव, दिल्ली

ग्रामीण विकास विभाग,  
दिल्ली

Yours faithfully,

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

3. The incomplete works under the SGRY/NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

2. The SGRY and NFFWP works should be completed within the stipulated time frame. The days of employment which is permissible under the Act.